हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

कार्यसूची

सप्तम् सत्र

वीरवार, 11 दिसम्बर, 2014/20 अग्रहायण,1936 (शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

1. **प्रश्नोत्तर:**

(1) **तारांकित:**

(i) स्थगित
(ii) दिन के लिए } पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

(2) **अतारांकित :**

दिन के लिए } पृथक सूची में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

2. **कागजात सभा पटल पर रखे जाएंगे :**

(1) **श्रीमती विद्या स्टोक्स, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मन्त्री,** निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगी:-

(i) हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी एवं वानिकी अधिनियम, 1986 (1987 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 45 (4) के अन्तर्गत डा० वाई०एस० परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-14;

(ii) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश एग्रो इण्डस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन लिमिटेड का 42वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2011-12 (विलम्ब के कारणों सहित);

(iii) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्यान उपज़ विपणन एवं विधायन निगम सीमित, का 39वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2012-13 (विलम्ब के कारणों सहित); और

(iv) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत उद्यान विभाग, अनुसन्धान अधिकारी, वर्ग-I(राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2014 जोकि अधिसूचना संख्या:.एच0टी0सी0-ए0(3)-1/2003 दिनांक 20.09.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 10.10.2014 को प्रकाशित ।

(2) **श्री प्रकाश चौधरी, आबकारी एवं कराधान मन्त्री,** निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

(i) हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, संगणक (कम्पयूटर) (मुद्रण), वर्ग-III (अराजपत्रित), (अलिपिक वर्गीय) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2014 जोकि अधिसूचना संख्या: मुद्रण(बी)10-46/2010 दिनांक 18.5.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 23.5.2014 को प्रकाशित;

(ii) हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, संगणक (कम्पयूटर) (अक्षरयोजन), वर्ग-III (अराजपत्रित), अलिपिक वर्गीय सेवाएं, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2014 जोकि अधिसूचना संख्या: मुद्रण(बी)10-39/2010 दिनांक 18.5.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 22.5.2014 को प्रकाशित;

(iii) हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, अधीक्षक ग्रेड-I, (राजपत्रित), लिपिक वर्गीय सेवाएं, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2013 जोकि अधिसूचना संख्या: मुद्रण(बी)10-(51)/2010 दिनांक 6.12.2013 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 7.12.2013 को प्रकाशित;

(iv) हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, वरिष्ठ यंत्र चालक, वर्ग-III (अराजपत्रित), अलिपिक वर्गीय सेवाएं, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2014 जोकि अधिसूचना संख्या:मुद्रण(बी)10-29/2010 दिनांक 5.8.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 11.8.2014 को प्रकाशित;

(v) हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग,अनुभागपाल, (मुद्रण), वर्ग -III (अराजपत्रित), अलिपिक वर्गीय सेवाएं, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2014 जोकि अधिसूचना संख्या:मुद्रण(बी)10-21/2010 दिनांक 13.10.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 17.10.2014 को प्रकाशित;

(vi) हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग,अनुभागपाल, (जिल्दबन्धी), वर्ग -III (अराजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2014 जोकि अधिसूचना संख्या:मुद्रण(बी)10-32/2010 दिनांक 13.10.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 16.10.2014 को प्रकाशित;

(vii) हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, अनुलिपित्र, ऑपरेटर, वर्ग -IV (अराजपत्रित), लिपिक वर्गीय सेवाएं, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2014 जोकि अधिसूचना संख्या:मुद्रण(बी)10-43/2010 दिनांक 13.10.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 28.10.2014 को प्रकाशित; और

(viii) हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, छपाई आदेश वाचक, वर्ग -III (अराजपत्रित), अलिपिक वर्गीय सेवाएं, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2014 जोकि अधिसूचना संख्या:मुद्रण(बी)10-48/2010 दिनांक 18.09.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 19.09.2014 को प्रकाशित ।

[(i) से (viii) तक भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अन्तर्गत निर्मित नियम है ।]

(3) श्री धनी राम शांडिल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री, हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1996 की धारा 19 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2013-14 की प्रति सभा पटल पर रखेंगे।

3. <u>सदन की समितियों के प्रतिवेदन :</u>

1. **श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2014-15),** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर रखेंगी :-

   (i) समिति का **31वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 9वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2013-14) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम सीमित** से सम्बन्धित है; और

   (ii) समिति का **32वां मूल प्रतिवेदन (वर्ष 2014-15)** जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2009-10 में शामिल ऑडिट पैरा संख्या:2.2 की समीक्षा पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम में ऋण अनुश्रवण प्रणाली की सूचना प्रौद्योगिकी लेखा परीक्षा**से सम्बन्धित है ।

2. **श्री महेश्वर सिंह , सभापति, मानव विकास समिति, (वर्ष 2014-15),** समिति का **10वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) जोकि **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग** के आश्वासनों से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

4. <u>विधायी कार्य :</u>

(I) <u>सरकारी विधेयक की पुर:स्थापना</u>

श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1970 (1970 का अधिनियम संख्यांक 17) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014
(2014 का विधेयक संख्यांक 17)

वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे ।

(II) सरकारी विधेयकों पर विचार-विमर्श एवं पारण

(i) श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि उच्चतर शिक्षा के लिए अभिलाषी विश्वविद्यालय चैल चौक, तहसील चच्योट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश की स्थापना, निगमन और विनयमन करने तथा इसके क्रियाकलापों को विनयमित करने और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए विधेयक

अभिलाषी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2014

(2014 का विधेयक संख्यांक 14)

पर विचार किया जाए।

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

(ii) श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश न्यायालय अधिनियम, 1976 (1976 का अधिनियम संख्यांक 23) का और संशोधन करने के लिए विधेयक

हिमाचल प्रदेश न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2014

(2014 का विधेयक संख्यांक 16)

पर विचार किया जाए।

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

5. नियम-324 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख :

(1) **श्री सतपाल सिंह सत्ती (44-ऊना),** ऊना में अत्याधिक ट्रैफिक जाम के दृष्टिगत फ्लाईओवर/बाईपास के प्रावधान हेतु Feasibility Study करवाने बारे विशेष उल्लेख करेंगे।

(2) **श्री बलदेव सिंह तोमर (59-शिलाई),** लोक निर्माण मण्डल, शिलाई के अन्तर्गत पौका व बिन्दला सड़कों पर पुलों का निर्माण जनहित में शीघ्रातिशीघ्र करने बारे विशेष उल्लेख करेंगे।

(3) **श्री सुरेश कुमार (55-पच्छाद),** सराहां-चण्डीगढ़ सड़क का निर्माण जनहित में शीघ्रातिशीघ्र करवाने बारे विशेष उल्लेख करेंगे।

(4) **श्री बिक्रम सिंह जरयाल(5-भटियात),** राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, सिहुन्ता में छात्र को मैरिट पर आने पर दिए गए लैपटॉप को वापिस लेने बारे विशेष उल्लेख करेंगे।

(5) **श्री राम कुमार (52-दून),** तहसील कसौली, जिला सोलन के अन्तर्गत कुछेक नामत: गावों की पेयजल समस्या के समाधान हेतु चैम्बरज़ को प्लग करने तथा उचित वितरण करने बारे विशेष उल्लेख करेंगे।

(6) **श्री महेश्वर सिंह (23-कुल्लू),** ग्राम पंचायत मलाणा को सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मण्डल, कुल्लू से निकालकर शमशी मण्डल में सम्मिलित करने तथा ग्राम शाट मनीकर्ण घाटी में विभाग का उप-मण्डल स्थापित करने बारे विशेष उल्लेख करेंगे।

6. गैर-सरकारी सदस्य कार्य :

"संकल्प"

(गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों की सूची संलग्न है)

धर्मशाला-176215 **सुन्दर सिंह वर्मा,**
दिनांक: 10 दिसम्बर, 2014 **सचिव ।**

****

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)

हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

गैर-सरकारी सदस्य कार्य

'संकल्प'

वीरवार, दिनांक 11 दिसम्बर, 2014 को चर्चा हेतु लिए जाने वाले गैर-सरकारी सदस्य के संकल्पों की सूचीः

क्र0सं0	सदस्य का नाम	उद्धरण
1.	**श्री इन्द्र सिंह :**	"यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि मनरेगा , सांसद व विधायक क्षेत्र विकास निधि इत्यादि से जो ग्रामीण सम्पर्क सड़कें निर्मित की जाती है उनके रख रखाव हेतु सरकार Minor-repair-Head में विशेष बजट का प्रावधान करे।"
2.	**श्री महेन्द्र सिंहः**	" यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि जंगलों व निजी भूमि में फैली कांग्रेस घास व अन्य झाड़ियों के स्थान पर चंदन व फलदार पौधे लगाने हेतु 'नई पौधरोपण नीति' बना कर प्रस्ताव वित्तीय सहायता हेतु केन्द्र सरकार को प्रेषित करे।"
3.	**श्री महेश्वर सिंहः**	"यह सदन इस मत का है कि सरकार प्रदेश में सभी विभागों, निगमों, बोर्डो व अन्य खर्चो पर मितव्ययता लाए और भारी भरकम प्रशासन को भी आवश्यकता अनुसार कम किया जाए।"
4.	**श्री गुलाब सिंह ठाकुरः**	"यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि मनरेगा के अन्तर्गत जो कृषि सम्बन्धी स्वीकार्य का र्य हैं उनमें से जंगली जानवरों से किसानों की खेती की रखवाली करने का कार्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को देनें का प्रस्ताव योजना में सम्मिलित किया जाए।"

सचिव,
विधान सभा।

*****